महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाएँ (राजस्थान)

योजना	पात्रता/ शर्तें	ज़रूरी दस्तावेज़	आवेदन प्रक्रिया	जिम्मेवार विभाग	योजना के लाभ
जननी सुरक्षा योजना	गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर लाभ देय होगा	• ममता कार्ड • सम्पूर्ण टीकाकरण कार्ड • आधार कार्ड • बैंक खाता पास बुक • जन आधार कार्ड	संस्थागत प्रसव के बाद अस्पताल में फॉर्म भरवाते हैं, जिसका लाभ सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में आता है	स्वास्थ्य विभाग	• शहरी क्षेत्र: 1000 रुपये • ग्रामीण क्षेत्र: 1400 रुपये
मुख्यमंत्री राजश्री योजना	दो बालिकाओं तक संस्थागत प्रसव होने पर जन्म से 18 साल की होने तक लाभ देय होगा राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये हीं इस योजना के अंतर्गत लाभ देय होगा	• ममता कार्ड • सम्पूर्ण टीकाकरण कार्ड • आधार कार्ड • माता का बैंक खाता • अध्ययनरत प्रमाण पत्र • जन्म प्रमाण पत्र • जन आधार कार्ड	संस्थागत प्रसव के बाद अस्पताल में आवेदन करवाएँ। इस योजना का लाभ सीधा माता के बैंक खाते में आता है	स्वास्थ्य विभाग	• प्रसव से जन्म लेने पर: 2500 रुपये • बालिका के एक वर्ष पूरे होने पर: 2500 रुपये • बालिका के एक वर्ष पूरे होने पर: 2500 रुपये • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर: 4000 रुपये • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर: 5000 रुपये • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर: 11000 रुपये • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर: 11000 रुपये • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से कक्षा 12 में उत्तीर्ण होने पर: 25000 रुपये
प्रधानमंत्री मात्री वंदन योजना	01.01.2017 के बाद गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित गर्भधारण व धात्री होने तक लाभ देय होगा इस योजना का लाभ केवल प्रथम गर्भधारण व धात्री होने तक मिल सकता है	• ममता कार्ड • सम्पूर्ण टीकाकरण कार्ड • आधार कार्ड • बैंक खाता पास बुक	गर्भधारण के बाद निकटतम आँगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण करवाएँ	महिला एवम बाल विकास विभाग	• निकटतम आँगनवाड़ी केंद्र पर गर्भधारण का पंजीयन करवाने पर: 1000 रुपये • गर्भधारण के 6 महीने पूरे होने पर प्रथम प्रसव पूर्व जाँच करवाने पर: 2000 रुपये • बच्चे के 6 महीने पूरे होने तथा नवजात को पहले चरण के सभी टीके (बीसीजी/ओपीवी/डीपीटी/हेपटाइटिस बी) लगवा दिए जाने पर: 2000 रुपये

सेंटर फॉर लेबर रीसर्च एण्ड एक्शन, 285, शंकर कॉलोनी, ई-मित्र के ऊपर, बेदला रोड, फतेहपुरा, उदयपुर, राजस्थान- 313001,
फोन: +91-9414296542, ईमेल: info@clra.in; वेब: www.clra.in

हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, बी-1/2, ग्राउन्ड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017;
फोन: 011-2664772, ईमेल: info@haqcrc.org; वेब: www. haqcrc.org